


अगस्त 2023

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- **समष्टि अर्थशास्त्र का विकास:**
 - औद्योगिक उत्पादन 4.5% बढ़ा
- **गृह मामले:**
 - दिल्ली GNCT (संशोधन) वधियक, 2023
 - जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) वधियक, 2023
 - भारतीय न्याय संहिता, 2023
 - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
 - भारतीय साक्ष्य वधियक, 2023
- **सूचना प्रौद्योगिकी:**
 - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण वधियक, 2023
- **चुनाव आयोग:**
 - मुख्य चुनाव आयुक्त की नयुक्ति में संशोधन
 - निर्वाचन प्रक्रिया और सुधारों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट
- **वित्त:**
 - GST लगाने हेतु संशोधन
- **खान:**
 - खान और खनजि (विकास और वनियमन) संशोधन वधियक, 2023
- **शिक्षा:**
 - शिक्षा हेतु नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जारी
- **स्वास्थ्य:**
 - CAG ने आयुष्मान भारत-PMJAY पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की
- **कानून एवं न्याय:**
 - मध्यस्थता वधियक 2021
- **समन्वय:**
 - बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) वधियक, 2022
- **रक्षा:**
 - अंतर-सेवा संगठन वधियक, 2023
- **सामाजिक न्याय:**
 - नशीली दवाओं के सेवन पर स्थायी समिति की रिपोर्ट
- **श्रम:**
 - कारीगरों और शिल्पकारों हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी
- **शहरी मामले:**
 - पीएम-ई बस सेवा
- **नागरिक उड्डयन:**
 - विमान सुरक्षा नियम, 2023
- **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र:**
 - उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हेतु विकास योजनाओं के वस्तितार
- **वाणजिय:**
 - उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापार के विकास पर रिपोर्ट
- **महिला एवं बाल विकास:**
 - राष्ट्रीय महिला आयोग के कामकाज पर स्थायी समिति की रिपोर्ट

औद्योगिक उत्पादन 4.5% बढ़ा:

- वर्ष 2023-24 की पहली त्रिमाही (अप्रैल-जून) में **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)** 4.5% बढ़ा।
- यह 2022-23 की पहली त्रिमाही में दर्ज 12.8% की वृद्धि से कम था। IIP में वनरिमाण, खनन और बजिली क्षेत्रों का भार क्रमशः 78%, 14% तथा 8% है।
- वर्ष 2023-24 की पहली त्रिमाही में खनन क्षेत्र में 6.4% की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2022-23 की इसी त्रिमाही में यह वृद्धि 9.1% थी।
- वर्ष 2023-24 की पहली त्रिमाही में वनरिमाण क्षेत्र में 4.7% की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2022-23 की पहली त्रिमाही में 12.8% से काफी कम है।
- वर्ष 2023-24 की पहली त्रिमाही में बजिली क्षेत्र की वृद्धि सबसे धीमी 1.3% रही जो वर्ष 2022-23 की पहली त्रिमाही के 17.1% से काफी कम थी।



गृह मामले

दिल्ली GNCT (संशोधन) अधिनियम, 2023:

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 7 अगस्त, 2023 को संसद द्वारा पारित किया गया था। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करता है।
- यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का स्थान लेता है, जिसे 19 मई, 2023 को जारी किया गया था। यह अधिनियम 19 मई, 2023 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा।

इसकी मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण:** अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है जोकि दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) को नमिनलखिति से संबंधित मामलों पर सुझाव देगा:
 - तबादले और तैनाती।
 - वज़िलेंस से संबंधित मामले।
 - अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ।
 - अखलि भारतीय सेवाओं (भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर), और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अभियोजन को स्वीकृति।
- पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के विषयों के संबंध में सेवारत अधिकारी प्राधिकरण के दायरे में नहीं आएँगे।
- प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव शामिल होंगे।
- प्राधिकरण के सभी नरिणय उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिये जाएँगे। बैठक के लिये कोरम दो सदस्यों का होगा।
- LG की शक्तियाँ:** अधिनियम के तहत ऐसे मामले जिनमें LG अपने वविक से कार्य कर सकते हैं, वे हैं:

- दिल्ली अधिनियम की वधायी कृपमता के बाहर के मामले लेकनल जो LG को सॉपे गए हैं ।
- ऐसे मामले जहाँ उनसे कानून द्वारा अपने ववलक से कार्य करना या कोई न्यायकल या अरुध-न्यायकल कार्य करना अपेक्षतल है ।
- वधयक नरलदषलत करता है कल ऐसे मामलों में LG अपने ववलक से कार्य करेंगे । वधयक LG की ववलकाधीन भूमकल का दायरा बढ़ता है और उन्हें पराधकलरण के सुझावों को मंजूरी देने या उन्हें पुनरुवचार के लयल वलपस लौटाने की शकतयलें भी देता है ।
- अगर LG और पराधकलरण के वधयरों में मतभेद होता है तो उस स्थतलल में LG का नरलणय ही अंतमल होगा । इसके अतरकलत वधयक के तहत LG के पास अपने सभी कारयों पर पूरण ववलकाधकलर है ।

जनम और मृतयु पंजीकरण (संशोधन) वधयक, 2023:

- जनम और मृतयु पंजीकरण (संशोधन) वधयक, 2023 को संसद में पारतल कयल गया । यह वधयक जनम और मृतयु पंजीकरण अधनलयम, 1969 में संशोधन करता है ।
- अधनलयम में जनम और मृतयु के पंजीकरण के वनलयमन का परावधान है ।

वधयक की परमुख वशलषताओं में नमनलखतल बढल शामिल हैं:

- **माता-पतल और सूचना देने वालों का आधार ववलरण आवश्यक:** अधनलयम में कुछ वयकतयलें (सूचना देने वालों) को रजसलट्रार को जनम और मृतयु की जानकारी देनी होती है । उदाहरण के लयल जसल अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ है, उसके परभारी चकलतलसा अधकलरी को जनम की जानकारी देनी होती है ।
 - वधयक में कहा गया है कल जनम के मामलों में नरलदषलत वयकतयलें को माता-पतल और सूचना देने वाले, यदलउपलबुध हो, का आधार नंबर भी परदान करना होगा । यह परावधान नमनलखतल पर लागू होता है:
 - जेल में जनम होने की स्थतलल में जेलर ।
 - होटल या लॉज का परबुधक, अगर ऐसे स्थान पर जनम हुआ है ।
- **इसके अलावा यह नरलदषलत वयकतयलें की सूची का वसलतार करता है, जसलमें नमनलखतल शामिल हैं:**
 - गैर-संस्थागत एडॉप्शन की स्थतलल में एडॉपटलवल माता-पतल
 - सरोगेसी के माधयम से जनम की स्थतलल में जैवकल माता-पतल
 - सगलल परेंट या अववलहतल माँ से जनमे बच्चे की स्थतलल में परेंट ।
- **जनम और मृतयु का डेटाबेस:** अधनलयम भारत के रजसलट्रार-जनरल की नयुकुतल का परावधान करता है जो जनम और मृतयु के पंजीकरण के लयल सामान्य नरलदेश जारी कर सकता है ।
 - वधयक में कहा गया है कल रजसलट्रार जनरल पंजीकृत जनम और मृतयु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाएगा । मुख्य रजसलट्रार (राज्यों द्वारा नयुकुतल) और रजसलट्रार (परतयेक स्थानीय क्षेत्र कषेत्राधकलर के लयल राज्यों द्वारा नयुकुतल) पंजीकृत जनम एवं मृतयु के डेटा को राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ शेयर करने के लयल बाधय होंगे । मुख्य रजसलट्रार राज्य स्तर पर ऐसा ही डेटाबेस बनाएगा ।
- **कनेकटगल डेटाबेस:** वधयक में कहा गया है कल राष्ट्रीय डेटाबेस को ऐसे अधकलरयलें को उपलबुध करायल जा सकता है, जो दूसरे डेटाबेस तैयार या वयवस्थतल करते हैं ।
- **इन डेटाबेस में नमनलखतल शामिल हैं:**
 - जनसंख्या रजसलट्रार
 - मतदाता सूची
 - राशन कार्ड
 - अधसलचतल कोई अन्य राष्ट्रीय डेटाबेस ।
- राष्ट्रीय डेटाबेस के उपयोग को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदतल कयल जानल चाहयल ।
- इसी परकार राज्य डेटाबेस को उन अधकलरयलें को उपलबुध करायल जा सकता है, जो राज्य के दूसरे डेटाबेस को तैयार या मेनटेन करते हैं । यह राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन होगा ।

भारतीय न्याय संहतल, 2023:

- भारतीय न्याय संहतल, 2023 को लोकसभा में पेश कयल गया ।
- यह वधयक भारतीय दंड संहतल, 1860 (IPC) को नरलस्त करता है और इसे गृह मामलों की स्थायी समतलल को भेजा गया है ।
- IPC आपराधकल कृतयों पर परमुख कानून है ।
- वधयक में IPC के कई हसलसों को बरकरार रखा गया है । IPC के तहत कुछ अपराध, जलन्हें न्यायालयों ने हटा दयल है या खारजल कर दयल है, हटा दयल गए हैं । इनमें वयलभचार और समलैंगकल संभोग के अपराध भी शामिल हैं ।

वधयक में परस्तावतल परमुख परवलरतन नमनलखतल हैं:

- **आतंकवाद और संगठतल अपराध:** वधयक आतंकवाद को एक ऐसे कृतय के रूप में परभाषतल करता है जसकल उददेश्य देश की एकता, अखंडता और सुरकषा को खतरें में डालना, आम जनता को डराना या सारुवजनकल वयवस्था को कषतगरलस्त करना है ।
 - आतंकवादी कृतयों में मौत का कारण बनने या भय फैलाने के लयल बंदूकों (आग्नेयास्तरों), बमों या खतरनाक पदार्थों का उपयोग करना शामिल है ।
 - संगठतल अपराध को भौतकल या वतलतीय लाभ पराप्त करने के लयल हसलल या धमकी के उपयोग द्वारा की जाने वाली नरलतर गैरकानूनी गतवधधल के रूप में परभाषतल कयल गया है ।

- गैरकानूनी गतिविधियों में अपहरण, कॉन्ट्रैक्ट हत्या, वित्तीय घोटाले और साइबर अपराध शामिल हो सकते हैं। इन्हें व्यक्तियों द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से, किसी अपराध सड़िकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से किया जा सकता है।
- **राजद्रोह:** वधियक राजद्रोह के अपराध को हटा देता है, जिसमें तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती थी।
 - इसके बजाय यह दंडित करता है: अलगाव को उत्तेजित करना या उकसाने का प्रयास करना, या वधिवंसक गतिविधियाँ, या सशस्त्र विद्रोह, अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना।
 - इनमें इलेक्ट्रॉनिक संचार, या वित्तीय साधनों का उपयोग शामिल हो सकता है। इसके लिये सात साल या आजीवन कारावास की सज़ा होगी और जुरमाना भी लगेगा।
- **कुछ आधार पर व्यक्तिसमूहों द्वारा हत्या:** वधियक नरिदषिट आधार पर पाँच या अधिक लोगों द्वारा की गई हत्या के लिये अलग-अलग दंड नरिदषिट करता है।
 - इन आधारों में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास शामिल हैं। प्रत्येक अपराधी को सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सज़ा दी जाएगी।
- **नाबालग के सामूहिक बलात्कार पर मृत्यु दंड:** IPC 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार के लिये मृत्युदंड देने की अनुमति देती है। वधियक 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार हेतु मृत्युदंड देने की अनुमति देता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023:

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लोकसभा में पेश किया गया।
- यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को नरिस्त करता है लेकिन संहिता के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है।
 - यह संहिता, भारतीय दंड संहिता, 1860 सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत अपराधों के लिये गरिफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया प्रदान करती है।

वधियक के तहत प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **वचाराधीन कैदियों की हरिसत:** संहिता के तहत, यदि किसी आरोपी ने जाँच या मुकदमे के दौरान किसी अपराध के लिये कारावास की अधिकतम अवधि का आधा समय हरिसत में बताया है, तो उसे उसके नज्जी बॉण्ड पर रहि किया जाना चाहिये। यह उन अपराधों पर लागू नहीं होता जिनमें मौत की सज़ा हो सकती है।
 - वधियक में कहा गया है कि यह प्रावधान नमिनलखिति पर भी लागू नहीं होगा
 - आजीवन कारावास की सज़ा वाले अपराध
 - ऐसे व्यक्तिकिनके खिलाफ एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है।
 - इसमें आगे कहा गया है कि पहली बार अपराध करने वाले लोगों को जमानत पर रहि किया जाएगा, अगर उन्होंने अपराध के लिये दी जा सकने वाली अधिकतम कारावास की एक तह्नाई अवधि हरिसत में पूरी कर ली है। जसि जेल में आरोपी को हरिसत में लिया गया है, उसके अधीक्षक को ऐसे वचाराधीन कैदियों को जमानत पर रहि करने हेतु आवेदन करना होगा।
- **हस्ताक्षर और उंगलियों की नशान:** संहिता मेट्रोपॉलिटन/न्यायिक मजसिट्रेट को अधिकार देती है कि वह किसी भी व्यक्तिको हस्ताक्षर या हैंडराइटिंग के नमूने देने के आदेश दे सकते हैं।
 - ऐसा आदेश संहिता के तहत किसी भी जाँच या कार्यवाही के लिये दिया जा सकता है। हालाँकि ऐसा नमूना उस व्यक्तिके जमा नहीं किया जा सकता जसि जाँच के तहत गरिफ्तार नहीं किया गया हो।
 - वधियक में इसका वसितार करते हुए उंगलियों के नशान और आवाज़ के नमूनों (वॉयस सैंपल) को शामिल किया गया है। ये नमूने किसी ऐसे व्यक्तिके से भी लिये जा सकते हैं जसि गरिफ्तार नहीं किया गया हो।
- **फॉरेंसिक जाँच:** वधियक उन सभी अपराधों के लिये फॉरेंसिक जाँच को अनवारिय करता है जिनकी सज़ा कम-से-कम सात वर्ष का कारावास है। ऐसे मामलों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ क्राइम सीन पर जाएँगे ताकि फॉरेंसिक साक्ष्य को इकट्ठा किया जा सके और मोबाइल फोन या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर उस प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेंगे। अगर राज्य के पास फॉरेंसिक सुवधि नहीं है तो उसे दूसरे राज्य की इस सुवधि का प्रयोग करना चाहिये।

भारतीय साक्ष्य वधियक, 2023:

- भारतीय साक्ष्य वधियक, 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को नरिस्त करता है।
 - अधिनियम कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिये नयिम प्रदान करता है।
- वधियक अधिनियम के कई हसिसों को बरकरार रखता है और साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के दायरे को वसितृत करता है।

वधियक में प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता:** अधिनियम दो प्रकार के साक्ष्य प्रदान करता है- दस्तावेज़ी (डॉक्यूमेंटरी) और मौखिक (ओरल) साक्ष्य।
 - दस्तावेज़ी साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जानकारी शामिल होती है जो कंप्यूटर के माध्यम से ऑप्टिकल या चुंबकीय मीडिया में मुद्रति या संग्रहीत की गई हो। ऐसी जानकारी कंप्यूटर या विभिन्न कंप्यूटरों के संयोजन द्वारा संग्रहीत या संसाधति की जा सकती है।
 - वधियक में प्रावधान है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागज़ी रिकॉर्ड के समान ही होगा।
 - यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का दायरा बढ़ाता है ताकि इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी संचार उपकरण (स्मार्टफोन, लैपटॉप) में संग्रहीत जानकारी को शामिल किया जा सके। इसमें ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन, लोकेशनल एवडेंस और वॉयस मेल के रिकॉर्ड्स शामिल होंगे।

- **मौखिक साक्ष्य:** अधिनियम के तहत मौखिक साक्ष्य में जाँच के तहत किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गए बयान शामिल हैं।
 - वधियक के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दी गई जानकारी को भी मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। इससे गवाह, आरोपी व्यक्ति और पीड़ित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही दे सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण वधियक, 2023:

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण वधियक, 2023 संसद द्वारा पारित किया गया। वधियक व्यक्तिगत डेटा और व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा का प्रावधान करता है।

मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **प्रयोज्यता:** वधियक भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होता है जहाँ यह डेटा:
 - ऑनलाइन जमा किया जाता है।
 - ऑफलाइन जमा किया जाता है और फरि उसे डिजिटलीकृत किया जाता है। यह भारत के बाहर प्रसंस्करण डेटा प्रोसेसिंग पर भी लागू होगा, अगर यह प्रोसेसिंग भारत में वस्तुओं और सेवाओं को ऑफर करने के लिये की जाती है।
- व्यक्तिगत डेटा किसी व्यक्ति के उस डेटा को कहा जाता है, जिससे वह व्यक्ति पहचाना जाता है, या जो उससे संबंधित होता है। प्रसंस्करण उस पूर्ण या आंशिक ऑटोमेटेड ऑपरेशन या सेट ऑफ ऑपरेशंस को कहा जाता है जो व्यक्तिगत डेटा डेटा पर किये जाते हैं। इसमें संग्रह, उपयोग और साझाकरण शामिल हैं।
- जिस व्यक्ति के डेटा को संसाधित किया जा रहा है (डेटा प्रसिपिल), उसे नमिनलखिति का अधिकार होगा:
 - प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी हासिल करना।
 - व्यक्तिगत डेटा में सुधार और उसे हटाने की मांग करना।
 - मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में किसी दूसरे को इन अधिकारों का इस्तेमाल डेटा प्रसिपिल के अधिकार और करतव्य: करने के लिये नामित करना।
 - शकियत नविवरण।
- डेटा प्रसिपिलों के कुछ करतव्य होंगे। उन्हें:
 - झूठी या तुच्छ शकियत दर्ज नहीं करानी चाहिये।
 - कोई गलत वविवरण नहीं देना चाहिये या नरिदषिट मामलों में किसी दूसरे का रूप नहीं धरना चाहिये।
 - इन करतव्यों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- **डेटा फडियूशरी के दायित्व:** प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधन का नरिधारण करने वाली इकाई (डेटा फडियूशरी) को नमिनलखिति करना चाहिये:
 - उसे डेटा की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिये उचित प्रयास करने चाहिये,
 - डेटा उल्लंघन को रोकने के लिये उचित सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिये,
 - उल्लंघन की स्थिति में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड और प्रभावित व्यक्तियों को उसकी जानकारी देनी चाहिये,
 - उद्देश्य पूरा होने और लीगल उद्देश्यों के लिये रटिशन ज़रूरी न होने (स्टोरेज लमिटेशन) पर प्रसंस्करण डेटा को मटा देना चाहिये।
 - सरकारी संस्थाओं के मामले में भंडारण सीमा और डेटा प्रसिपिल का डेटा मटाने का अधिकार लागू नहीं होगा।

चुनाव आयोग

मुख्य चुनाव आयुक्त की नयुक्त में संशोधन:

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नयुक्त, सेवा शर्तें एवं कार्यावधि) वधियक, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया। यह वधियक नरिवाचन आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 को नरिस्त करता है।

यह चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 को नरिस्त करता है।

- **नरिवाचन आयोग:** संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और उतने ही अन्य चुनाव आयुक्त (EC) होते हैं, जतिने राष्ट्रपति तय कर सकते हैं। CEC और अन्य EC की नयुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
 - वधियक नरिवाचन आयोग की समान संरचना को नरिदषिट करता है। इसमें कहा गया है कि CEC और अन्य EC की नयुक्ति चयन समिति के सुझावों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
- **चयन समिति:** चयन समिति में नमिनलखिति शामिल होंगे:
 - अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री
 - सदस्य के रूप में लोकसभा में वपिकष के नेता
 - प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
 - अगर लोकसभा में वपिकष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है तो लोकसभा में सबसे बड़े वपिकषी दल का नेता इस भूमिका में होगा।
- **सर्च पैनल (खोजबीन समिति):** चयन समिति पर वचिर करने के लिये खोजबीन समिति पाँच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी। खोजबीन समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे।

- इसमें दो अन्य सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार के सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे। उनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिये।
- चयन समिति उन उम्मीदवारों पर भी विचार कर सकती है जिन्हें खोजबीन समिति द्वारा तैयार पैल में शामिल नहीं किया गया है।

नरिवाचन प्रक्रिया और सुधारों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट:

- कार्रमकि, लोक शक्यात, कानून और न्याय से संबंधित स्थायी समिति ने “चुनावी प्रक्रिया के वशिषिट पहलू एवं उनमें सुधार” पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- समिति ने नरिवाचन प्रक्रिया से संबंधित कुछ मुद्दों की पहचान की, जनिमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - सामान्य मतदाता सूची की स्थिति
 - मतदान करने और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु।
- भारत के नरिवाचन आयोग (ECI) ने एक सामान्य मतदाता सूची बनाने का प्रस्ताव रखा था।
- सामान्य मतदाता सूची का उद्देश्य मतदाताओं की जानकारी वाली एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में काम करना है, जिसका एक्सेस ECI और राज्य चुनाव आयोगों सहित सभी संबंधित अधिकारी के पास हो।

समिति के प्रमुख नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **सामान्य मतदाता सूची:** समिति ने कहा कि सामान्य मतदाता सूची का उद्देश्य संसाधनों को सुव्यवस्थित करना तथा मेहनत और खर्चों को कम करना है। हालाँकि उसे इसके कार्यान्वयन से संबंधित दो मुद्दों की पहचान की-
 - वर्तमान कानूनी ढाँचा
 - ECI द्वारा मतदाता सूची के नरिमाण का मार्गदर्शन करने वाले संवैधानिक नियम।
- समिति ने राज्य की शक्तियों पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की, क्योंकि पंचायत चुनाव और नगरपालिका चुनाव राज्य चुनाव आयोगों के अधिकार में आते हैं।
- प्रत्येक स्थानीय चुनाव से पूर्व राज्य सरकारों और राज्य चुनाव आयोगों द्वारा स्थानीय वार्डों एवं पंचायतों का परसीमन अनविर्य किया जाता है।
- संवधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, स्थानीय चुनाव राज्य के वषिय के अंतर्गत आते हैं।
- ECI के पास राज्य चुनाव आयोगों को नरिदेश देने का अधिकार नहीं है। इसलिये समिति ने सुझाव दिया कि ECI को सामान्य मतदाता सूची तैयार करने से पूर्व संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करना चाहिये।
- इसके अतरिकृत समिति ने कहा कि केंद्र सरकार और ECI द्वारा प्रस्तावित सामान्य मतदाता सूची का कार्यान्वयन संवधान के अनुच्छेद 325 के दायरे से बाहर है। समिति के अनुसार, अनुच्छेद 325 संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिये अलग-अलग मतदाता सूचियों के उपयोग को अनविर्य बनाता है।
- समिति ने केंद्र सरकार को कोई भी कार्रवाई करने से पहले संभावित परिणामों का सावधानीपूर्वक आकलन करने की सलाह दी।
- **चुनाव लड़ने की आयु:** समिति ने कहा कि चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के लिये न्यूनतम आयु की अनविर्यता को कम करने से युवाओं को लोकतंत्र में शामिल होने के समान अवसर मिलेंगे। उसने राज्य विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारी हेतु न्यूनतम आयु की अनविर्यता को कम करने का सुझाव दिया।

वतित

GST लगाने हेतु संशोधन:

- केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) वधियक, 2023 तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) वधियक, 2023 संसद में पारित किये गए। ये वधियक क्रमशः केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) अधिनियम, 2017 में संशोधन करते हैं।
- संशोधनों के अनुसार, CGST कैसीनो, घुड़दौड़, जुआ और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लागू होगा।
- IGST ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लागू होगा।
- ऑनलाइन मनी गेमिंग उन ऑनलाइन गेम्स को कहा जाता है, जहाँ खलिड़ी पैसे या पैसे के लायक जीत की उम्मीद के साथ पैसे का भुगतान या उसे जमा (वर्चुअल डिजिटल संपत्ति सहित) करते हैं।
- यह किसी भी खेल, योजना, प्रतियोगिता या अन्य गतिविधि पर लागू होता है, भले ही इसका परिणाम कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो।
- इसमें ऑनलाइन मनी गेम शामिल हैं जिन्हें किसी भी कानून के तहत अनुमति दी जा सकती है या प्रतबंधित किया जा सकता है।

खान

खान और खनजि (वकिसा एवं वनियिमन) संशोधन वधियक, 2023:

- खान और खनजि (वकिसा एवं वनियिमन) संशोधन वधियक, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया।
- वधियक खान और खनजि (वकिसा एवं वनियिमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करता है।
- अधिनियम खनन क्षेत्र को वनियिमन करता है।

मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **पूरव परीक्षण में उप-सतही गतविधियाँ शामिल:** अधिनियम पूरव परीक्षण से संबंधित कार्यों को प्रारंभिक पूरवक्षण के लिये किये जाने वाले कार्यों के तौर पर परिभाषित करता है।
- **इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:**
 - हवाई सर्वेक्षण
 - भू-भौतिकीय
 - भू-रासायनिक सर्वेक्षण।
- इसमें भूवैज्ञानिक मानचित्रण भी शामिल है। अधिनियम पूरव परीक्षण के हिससे के रूप में गड़दा खोदने, खाई खोदने, ड्रिलिंग और उप-सतही उत्खनन पर प्रतिबंध लगाता है। वधियक इन प्रतिबंधित गतविधियों की अनुमति देता है।
- **नरिदषिट खनजिों के लिये अन्वेषण लाइसेंस:** अधिनियम नमिनलखिति प्रकार की रियायतें प्रदान करता है:
 - पूरव परीक्षण हेतु पूरव परीक्षण परमटि
 - पूरवक्षण हेतु पूरवक्षण लाइसेंस
 - खनन करने हेतु खनन पट्टा (लीज़)।
 - एक मशिरति लाइसेंस, पूरवक्षण और खनन के लिये।
- वधियक एक अन्वेषण लाइसेंस का प्रस्ताव रखता है जोकि नरिदषिट खनजिों के लिये पूरव परीक्षण या पूरवक्षण, या दोनों गतविधियों के लिये अधिकृत करेगा।
- सातवी अनुसूची में नरिदषिट 29 खनजिों के लिये अन्वेषण लाइसेंस जारी किया जाएगा।
- इनमें सोना, चाँदी, ताँबा, कोबाल्ट, निकल, सीसा, पोटेश और रॉक फॉस्फेट शामिल हैं।
- एक्ट के तहत परमाणु खनजिों के रूप में वर्गीकृत छह खनजि भी इनमें शामिल हैं:
 - बेरिल और बेरिलियम,
 - लथियम,
 - नाइओबियम
 - टाइटेनियम,
 - टैंटलियम
 - ज़रिक्कोनियम।
- वधियक उन्हें परमाणु खनजिों के रूप में वर्गीकृत करता है। अन्य खनजिों के विपरीत, परमाणु खनजिों का पूरवक्षण और खनन अधिनियम के तहत सरकारी संस्थाओं के लिये आरक्षित है।
- **कुछ खनजिों के लिये केंद्र सरकार द्वारा नीलामी:** अधिनियम के तहत, कुछ नरिदषिट मामलों को छोड़कर, कन्सेशन की नीलामी राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।
- वधियक में कहा गया है कि नरिदषिट महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनजिों के लिये मशिरति लाइसेंस एवं खनन पट्टे की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी।
- इन खनजिों में लथियम, कोबाल्ट, निकल, फॉस्फेट, टनि, फॉस्फेट और पोटेश शामिल हैं। हालाँकि राज्य सरकार की ओर से अभी भी रियायतें दी जाएँगी।

शक्तिषा

शक्तिषा हेतु नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जारी:

- शक्तिषा मंत्रालय ने स्कूल शक्तिषा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF), 2023 को जारी किया है। इसका उद्देश्य स्कूल पाठ्यक्रम के विकास हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत, लक्ष्य, संरचना और तत्व प्रदान करना है। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 का स्थान लेता है। इसे राष्ट्रीय शक्तिषा नीति (NEP) के उद्देश्यों के अनुसार तैयार किया गया है।
- NEP ने स्कूली शक्तिषा में बदलाव की कल्पना की गई है, जिसमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - चार चरणों में विभाजित स्कूली शक्तिषा प्रणाली
 - बहु-वषियक शक्तिषा
 - बहुभाषावाद
 - वषिय चयन में लचीलापन।

प्रमुख वषियताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **5+3+3+4 चरणीय डज़ाइन:** NEP ने स्कूली प्रणाली (10+2) के मौजूदा डज़ाइन को एक ऐसे डज़ाइन से बदलने का सुझाव दिया है जो चार चरणों में बाँटा गया है। प्रस्तावित डज़ाइन में नमिनलखिति शामिल हैं-
 - बुनयादी चरण (उमर 3-8)
 - प्रारंभिक चरण (आयु 8-11)
 - मध्य चरण (उमर 11-14)
 - माध्यमिक चरण (उमर 14-18)।
- NEP ने आगे माध्यमिक चरण को दो चरणों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया- कक्षा 9 और 10, तथा कक्षा 11 व 12। NCF, 2023 में इस डज़ाइन को शामिल किया गया है। इसमें प्रत्येक चरण को वषियों और वषिषिट शक्तिषण उद्देश्यों के तहत संयोजित किया गया है। उदाहरण के लिये बुनयादी चरण का लक्ष्य शारीरिक, संज्ञानात्मक और भाषा क्षमताओं को विकसित करना है। इस चरण में वदियार्थी दो भाषाएँ सीखेंगे और मूलभूत संख्यात्मकता विकसित करेंगे।

भाषा की शिक्षा:

- NEP का लक्ष्य एक वदियार्थी को तीन भाषाओं में एक स्वतंत्र वक्ता, लेखक और पाठक के रूप में विकसित करना है।
- NCF, 2023 इस उद्देश्य को शामिल करता है और भाषा दक्षता के लिये लक्ष्य निर्धारित करता है।
- एक वदियार्थी जो पहली भाषा पढ़ता है, वह उस समुदाय की भाषा होगी जिसमें वह रहता है।
- अन्य भाषा, पहली भाषा के अलावा कोई भी भाषा हो सकती है। NCF के लिये आवश्यक है कि पढ़ाई जाने वाली तीन भाषाओं में से दो भारतीय होनी चाहिये।

■ **बहुअनुशासनात्मक शिक्षा:** NCF, 2023 में कक्षा 11 और 12 के वदियार्थियों के लिये छह वर्षों के अध्ययन का प्रावधान है। इनमें से दो भाषाएँ होंगी, जिनमें से एक भारतीय होनी चाहिये। इनके अलावा वदियार्थी तीन समूहों में से कोई भी चार विषय चुन सकता है। प्रत्येक समूह में समान डोमेन के विषय शामिल हैं।

■ उदाहरण के लिये विज्ञान, गणित और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग को एक साथ समूहीकृत किया गया है।

स्वास्थ्य

CAG ने आयुष्मान भारत-PMJAY पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की:

- भारत के न्यतिरक महालेखा परीक्षक (CAG) ने 'आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के प्रदर्शन ऑडिट' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इस योजना का लक्ष्य माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती के लिये प्रतिवर्ष प्रति परिवार पाँच लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।
- योजना के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जातिजनगणना (SECC), 2011 के आधार पर किया जाता है।

रिपोर्ट के मुख्य नषिकर्षों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **लाभार्थियों का समावेश:** पंजीकरण के लिये आवेदन करने पर आवेदक के विवरण का मलिन पात्र लाभार्थियों की सूची वाले डेटाबेस से किया जाता है।
- 0 और 100 के बीच एक स्कोर जनरेट होता है और प्रासंगिक दस्तावेज़ अनुमोदन के लिये भेजे जाते हैं। अनुमोदन या असवीकृति हेतु स्कोर की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- CAG रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल स्वीकृत मामलों (11 करोड़) में से 32% में कोई मलिन स्कोर नहीं था और 15% में मलिन स्कोर शून्य था।
- इसका तात्पर्य यह है कि आवेदकों द्वारा दिये गए विवरण डेटाबेस में दिये गए विवरण से समानता नहीं रखते हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि अपात्र लाभार्थियों, वशिषकर सरकारी करमचारियों के परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- **डेटाबेस में त्रुटियाँ:** रिपोर्ट SECC, 2011 डेटाबेस को पुराना मानती है और बताती है कि उसमें वसिंगतियों मौजूद हैं। इनमें नमिनलखिति त्रुटियाँ शामिल हैं, जैसे:
 - अमान्य नाम।
 - नाम और जेंडर वाले कॉलम का खाली होना।
 - अवास्तविक जन्म तथियाँ और पारिवारिक इकाई का आकार।
- इन्हें मलिकर लगभग दो करोड़ प्रवषिटियाँ बनती हैं। रिपोर्ट में लाभार्थियों के PMJAY डेटा में वसिंगतियों का भी खुलासा किया गया है।
- **इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:**
 - डुप्लीकेट PMJAY आईडी।
 - पारिवारिक इकाइयों का अवास्तविक आकार।
 - एक जैसे/गलत आधार कार्ड नंबर।
 - अमान्य मोबाइल नंबर।
- **दावों का प्रबंधन:** वर्ष 2022 तक नपिताए गए दावों में से 53% दावे उन राज्यों के थे जिनोंने अपनी बीमा स्वास्थ्य योजनाएँ लागू की हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इन राज्यों में सभी राज्य योजनाओं के दावे उनके अपने IT प्रबंधन ससि्टम में फीड किये जाते हैं। जब यह डेटा PMJAY की प्रबंधन प्रणाली में स्थानांतरित किया जाता है, तो राज्य वशिषिट योजनाओं के साथ PMJAY के ओवरलैप होने की आशंका होती है।

कानून एवं न्याय

मध्यस्थता वधियक 2021:

- मध्यस्थता वधियक, 2021 को संसद में पारित कर दिया गया। मध्यस्थता एक कसिम का वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) होता है जिसमें एक स्वतंत्रत व्यक्ति (मध्यस्थ) की सहायता से विभिन्न पक्ष अपने विवादों को नपिताने का प्रयास करते हैं।
 - वधियक मध्यस्थता (ऑनलाइन मध्यस्थता सहित) को बढ़ावा देने का प्रयास करता है तथा मध्यस्थता समझौते के परिणामस्वरूप नपिटारे को लागू करने का प्रावधान करता है।
 - वधियक को कार्मिक, लोक शकियत, कानून एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने वधियक में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया है।
 - जैसे वधियक के अनुसार मध्यस्थता की प्रक्रिया 180 दिनों के अंदर पूरा होनी चाहिये जिसे 180 दिनों के लिये और बढ़ाया जा सकता है।
 - समिति ने इसे घटाकर 90 दिन करने तथा उसे 60 दिन और बढ़ाने के विकल्प का सुझाव दिया है।

वधियक की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **मध्यस्थता हेतु अनुपयुक्त वविाद:** वधियक भारत में संचालति कुछ मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू होगा (उदाहरण के लिये अगर मध्यस्थता समझौते में कहा गया है कि मध्यस्थता इस वधियक के अनुसार होगी या कसिी वाणजियकि वविाद से संबंधति अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पर)। वधियक कुछ वविादों को मध्यस्थता के लिये उपयुक्त नहीं मानता है।
- **इनमें नमिनलखिति वविाद शामिल हैं:**
 - नाबालगिों या मानसकि रूप से अस्वस्थ लोगों के खलिाफ दावों से संबंधति वविाद।
 - क्रमिलि अपराध के अभयिोजन से जुड़े वविाद।
 - तीसरे पक्ष के अधिकारिों को प्रभावति करने वाले वविाद।
 - करों की वसूली या कलेक्शन से संबंधति वविाद।

केंद्र सरकार वविादों की इस सूची में संशोधन कर सकती है।

- **मध्यस्थता की प्रक्रिया:** नागरकि या वाणजियकि वविाद के मामले में व्यक्त को अदालत या कनिहीं टरबियूनलस (जनिहें अधिसूचति कयिा जायगा) से संपर्क करने से पूर्व मध्यस्थता के जरयि वविाद को सुलझाने का प्रयास करना चाहयि। मध्यस्थता की प्रक्रयिा गोपनीय होगी। पहले दो सत्रों के बाद कोई पक्ष मध्यस्थता से पीछे हट सकता है। मध्यस्थता की प्रक्रयिा 120 दनिों में समाप्त होनी चाहयि जसिे वभिनिन पक्षों द्वारा 60 दनिों तक और बढ़ाया जा सकता है।
- **मध्यस्थ:** मध्यस्थ वभिनिन पक्षों के वविाद सुलझाने में मदद करते हैं। मध्यस्थों को नमिनलखिति द्वारा नयुक्ति कयिा जा सकता है:
- आपसी रजामंदी से शामिल पक्षों द्वारा
- मध्यस्थता सेवा प्रदाता (मध्यस्थता का संचालन करने वाली संस्था) द्वारा।
- मध्यस्थों को हतिों के ऐसे कसिी भी टकराव का खुलासा करना चाहयि जोका उनकी स्वतंत्रता पर संदेह उत्पन्न करता हो।
- इसके अतरिकित भारतीय मध्यस्थता परिषद मध्यस्थों का पंजीकरण करेगी और मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को मान्यता देगी।

समन्वय

बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) वधियक, 2022:

बहु-राज्यीय सहकारी समतिि (संशोधन) वधियक, 2022 को संसद में पारति कर दयिा गया। यह वधियक बहु-राज्यीय सहकारी समतिि अधनियिम, 2002 में संशोधन करता है। बहु-राज्यीय सहकारी समतिियाँ एक से अधिक राज्यों में काम करती हैं। वधियक को 22 दसिंबर, 2022 को ज्वाइंट पार्लियामेंटरी समतिि को भेजा गया था। समतिि ने वधियक के प्रावधानों को मंजूर कर लयिा। वधियक के मुख्य प्रावधानों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **बोर्ड के सदस्यों का नरिवाचन:** अधनियिम के तहत बहु-राज्यीय सहकारी समतिि के बोर्ड का नरिवाचन उसके मौजूदा बोर्ड द्वारा कयिा जाता है।
- वधियक इसमें संशोधन करता है और नरिदषिट करता है कि केंद्र सरकार इन चुनावों को कराने के लिये सहकारी नरिवाचन प्राधिकरण बनायगी।
- प्राधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे।
- केंद्र सरकार चयन समतिि के सुझावों के आधार पर इन सदस्यों की नयुक्ति करेगी।
- **शकियतों का नरिारण:** वधियक के अनुसार, केंद्र सरकार प्रादेशकि क्षेत्राधिकार के साथ एक या एक से अधिक सहकारी लोकपाल की नयुक्ति करेगी। लोकपाल नमिनलखिति के संबंध में सहकारी समतिियों के सदस्यों की शकियतों की जाँच करेगा:
 - उनकी जमा
 - समतिि के कामकाज के उचति लाभ
 - सदस्यों के व्यक्तगित अधिकारिों को प्रभावति करने वाले मुद्दे।
- लोकपाल शकियत प्राप्त होने के तीन महीनों के भीतर जाँच और अधनिरिणय की प्रक्रयिा को पूरी करेगा। लोकपाल के नरिदेशों के खलिाफ एक महीने के भीतर केंद्रीय रजिस्ट्रार (जसिकी नयुक्ति केंद्र सरकार करती है) में अपील दायर की जा सकती है।
- **सहकारी समतिियों का एकीकरण:** अधनियिम में बहु-राज्यीय सहकारी समतिियों के एकीकरण और वभिजन का प्रावधान है।
- आम बैठक में एक प्रस्ताव पारति करके, ऐसा कयिा जा सकता है। इसके लिये मौजूद और वोट करने वाले कम से कम दो तहिाई सदस्यों की जरूरत होती है।
- वधियक सहकारी समतिियों (राज्य कानूनों के तहत पंजीकृत) को मौजूदा बहु-राज्यीय सहकारी समतिि में वलिय होने की अनुमति देता है।
- इस वलिय के लिये आम बैठक में सहकारी समतिि के मौजूदा और वोट देने वाले दो तहिाई सदस्यों को प्रस्ताव पारति करना होगा।

रक्षा

अंतर सेवा संगठन वधियक, 2023:

- संसद ने अंतर-सेवा संगठन (कमान, नरियंत्रण और अनुशासन) वधियक, 2023 को पारति कर दयिा।
 - यह अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को यह अधिकार देता है कि वे अपनी कमान के तहत आने वाले सेवाकरमियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनकि नरियंत्रण रख सकते हैं, भले ही वे कसिी भी सेवा के हों।
 - वधियक को संयुक्त संसदीय समतिि को भेजा गया था, जसिने उसे मंजूर कर दयिा।

वधियक की प्रमुख वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **अंतर-सेवा संगठन:** मौजूदा अंतर-सेवा संगठनों को वधियक के तहत गठित माना जाएगा।
 - इनमें अंडमान एवं निकोबार कमान, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी शामिल हैं।
 - केंद्र सरकार एक अंतर-सेवा संगठन का गठन कर सकती है जिसमें तीन सेवाओं में से कम-से-कम दो से संबंधित कर्मचारी हों: थलसेना, नौसेना और वायुसेना।
 - इन्हें ऑफिसर-इन-कमांड के अधीन रखा जा सकता है।
 - इन संगठनों में एक संयुक्त सेवा कमान भी शामिल हो सकती है, जैसे कमांडर-इन-चीफ के कमान के तहत रखा जा सकता है।
- **अंतर-सेवा संगठन का नयितरण:** वर्तमान में अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को अन्य सेवाओं से संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।
 - वधियक किसी अंतर-सेवा संगठन के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को इसमें सेवारत या इससे जुड़े कर्मियों पर कमान और नयितरण करने का अधिकार देता है।
 - वह अनुशासन बनाए रखने और सेवा कर्मियों द्वारा कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार होगा।
- अंतर-सेवा संगठन का अधीक्षण केंद्र सरकार में नहिति होगा।
 - सरकार ऐसे संगठनों को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामान्य प्रशासन या जनहति के आधार पर निर्देश भी जारी कर सकती है।

सामाजिक न्याय

नशीली दवाओं के सेवन पर स्थायी समिति की रिपोर्ट:

- सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण संबंधी स्थायी समिति ने 'युवाओं में नशीले पदार्थों का सेवन- समस्याएँ और समाधान' विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति के मुख्य सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **बजटीय आवंटन में कमी:** समिति ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रडिकेशन (NAPDDR) में वर्ष 2020-21 और 2021-22 दोनों के लिये 260 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन था।
 - संशोधित चरण के दौरान इसे घटाकर 2020-21 के लिये 150 करोड़ रुपए और 2021-22 के लिये 200 करोड़ रुपए कर दिया गया।
 - यह भी गौर किया गया कि NAPDDR ने वर्ष 2021-22 में लगभग 91 करोड़ रुपए और वर्ष 2021-22 में 98 करोड़ रुपए खर्च किये थे।
 - समिति ने सुझाव दिया कि सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण विभाग यह सुनिश्चित करे कि वर्ष 2023-24 में NAPDDR के तहत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हो। समिति ने संशोधित चरण में कटौती के बजाय 2023-24 हेतु बजट आवंटन को पूरा खर्च करने का सुझाव दिया।
- **युवाओं में नशीले पदार्थों का सेवन:** समिति ने पाया कि 10-17 वर्ष के बच्चों द्वारा ओपिओइड, सेडेटिव्स और इनहेलेंट का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है तथा इस आयु वर्ग में एक करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं।
- सबसे अधिक प्रभावित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली एवं पंजाब शामिल हैं। कमीटी ने यह भी गौर किया कि कुछ राज्यों में शराब की खपत पर प्रतिबंध के बावजूद भारत की लगभग 19% आबादी शराब का सेवन करती है।
- समिति ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में शराब की अवैध बिक्री को नयितरति करने के लिये कड़ी नगरानी का सुझाव दिया।
- **पुनर्वास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका:** समिति ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नशीले पदार्थों का उपयोग व्यापक रूप से प्रचलित है। हालाँकि इन राज्यों में पुनर्वास कार्यक्रम संचालित करने वाले गैर सरकारी संगठनों को दी जाने वाली धनराशि पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2022-23 में कम हो गई है। समिति ने गौर किया कि बजट में कटौती आंशिक रूप से कुछ गैर सरकारी संगठनों के काम न करने के कारण हुई। समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि संकटग्रस्त राज्यों में पुनर्वास कार्यक्रम प्रभावित न हों, एक फास्ट-ट्रैक वैकल्पिक तंत्र का सुझाव दिया।

श्रम

कारिगरों और शलिपकारों हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी:

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कारिगरों और शलिपकारों के लिये केंद्रीय क्षेत्र की योजना पीएम-वशिवकर्मा को मंजूरी दे दी है। यह योजना 5% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है, पहली कश्ति में एक लाख रुपए तक और दूसरी कश्ति में दो लाख रुपए तक। योजना के तहत अतिरिक्त सहायता जैसे कौशल उन्नयन, डिजिटल लेन-देन हेतु प्रोत्साहन और मार्केटिंग सहायता भी प्रदान की जाएगी।

वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक इस योजना का वित्तीय परविषय 13,000 करोड़ रुपए है। इसमें बड़ई, शस्तरागार, लोहार, कुम्हार, राजमस्त्री, नाई, गुड़िया/खिलौना निर्माता, माला निर्माता, दर्जी और मूरतकार जैसे 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा।

शहरी मामले

PM ई-बस सेवा:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी बस संचालन को बढ़ाने और स्थायी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिये PM ई-बस सेवा को मंजूरी दी।

- यह योजना ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देगी और शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सहयोग देगी।
- इसके दो खंड हैं:
 - खंड 'क' में सार्वजनिक-नजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर 10,000 ई-बसें होंगी।
 - खंड 'ख' में मल्टीमॉडल इंटरचेंज और स्वचालित करिया संग्रह प्रणाली जैसी हरति पहल शामिल हैं।
- योजना के लिये कुल बजट परवियय 57,613 करोड़ रुपए है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किये जाएंगे।
- यह योजना 10 वर्षों तक चलेगी और तीन लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को लक्ष्यित करेगी। संगठित बस सेवाओं की कमी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

नागरिक उड्डयन

वमिन सुरक्षा नियम, 2023:

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वमिन अधिनियम, 1934 के तहत वमिन सुरक्षा नियम, 2023 को अधिसूचित किया है। 2023 के नियम वमिन सुरक्षा नियम, 2011 का स्थान लेते हैं।

नियमों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- **आयुक्त की शक्तियाँ महानदेशक को हस्तांतरित:** 2023 नियमों के तहत, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security- BCAS) के महानदेशक इन कार्यों के लिये ज़िम्मेदार होंगे:
 - राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम को विकसित करने और बरकरार रखने हेतु
 - वमिनों के बीच गतिविधियों का समन्वय करने हेतु
 - हवाईअड्डों पर सुरक्षा न्यंत्रण और प्रक्रियाएँ लागू करने के लिये अधिकारियों को नामित करना।
 - 2011 के नियमों के तहत, BCAS के आयुक्त इन कार्यों के लिये ज़िम्मेदार थे।
 - वमिन अधिनियम, 1934 को 2020 में संशोधित किया गया जिसने BCAS को एक वैधानिक निकाय बनाया और नरिदषित किया कि महानदेशक इसका नेतृत्व करेंगे। 2023 नियम महानदेशक के लिये अतिरिक्त कार्य नरिदषित करते हैं, जैसे; सुरक्षा ऑडिट की व्यवस्था करना।
- **नजी सुरक्षा एजेंसियों का उपयोग:** सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये महानदेशक द्वारा अधिकृत नजी सुरक्षा कर्मियों को लगाया जाएगा। नजी सुरक्षा कर्मियों की संख्या और प्रशिक्षण मानक केंद्र सरकार द्वारा नरिधारित किये जाएंगे।
- **कुछ उल्लंघनों पर दंड:** नियमों के तहत, वमिन ऑपरेटरों को कुछ कार्य करने होते हैं। उनका पालन न करना अपराध माना जाएगा।
- ऐसे कार्यों में नमिनलखित शामिल हैं-
 - एक सुरक्षा कार्यक्रम विकसित करना
 - महानदेशक से अनुमोदन के साथ वमिन संचालन शुरू करना।
- इसके अतिरिक्त, किसी हवाईअड्डे या वमिन में हथियार, बंदूक (आग्नेयास्त्र), गोला-बारूद या वस्फोटक ले जाना भी एक अपराध है। अपराध के लिये दो वर्ष तक की कैद या एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है।
 - नियम कुछ अपराधों के शमन के लिये रकम भी नरिदषित करते हैं।
- **साइबर खतरों के खिलाफ उपाय:** हवाईअड्डा और वमिन ऑपरेटरों या ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी जैसी संस्थाओं को महत्त्वपूर्ण जानकारी की पहचान करनी होगी तथा ऐसी जानकारी के अनाधिकृत एक्सेस की पहचान करने, संशोधन और उपयोग का पता लगाने तथा एक्सेस से बचाने के लिये सुरक्षा उपाय विकसित करने होंगे।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हेतु विकास योजनाओं के वसितार:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो योजनाओं के वसितार को मंजूरी दी:
- उत्तर पूर्व विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना (NESIDS)
- उत्तर पूर्वी परषिद योजना (NECS)।

इन दोनों योजनाओं के दशानरिदेशों को भी संशोधित किया गया है।

- **उत्तर पूर्व विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना (NESIDS):** इस योजना का लक्ष्य सभी पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढाँचे के विकास और कनेक्टिविटी को सुवधियनक बनाना है। इसे 8,140 करोड़ रुपए के कुल परवियय के साथ वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। वसितारित योजना को दो घटकों में पुनर्रगठित किया जाएगा।
- **NESIDS-सड़कों, पर्यटन और आर्थिक केंद्रों के लिये सड़क, रेल एवं जल कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना।**
- **NESIDS-सड़क बुनियादी ढाँचे के अलावा जलाशयों, ठोस अपशषिद प्रबंधन और बजिली से संबंधित परियोजनाओं को कवर करना।**
- **उत्तर पूर्वी परषिद योजना (NECS):** NECS का लक्ष्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के समग्र विकास में अंतराल को कम करना है। इस योजना में उच्च शिक्षा, जैविक खेती, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय पर्यटन जैसे फोकस क्षेत्र शामिल हैं। इसे 3,200 करोड़ रुपए के कुल परवियय के साथ 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
- **योजनाओं की नगिरानी:** केंद्रीय स्तर पर अधिकार प्राप्त अंतर-मंत्रालयी समिति दोनों योजनाओं के तहत परियोजनाओं की नगिरानी और मूल्यांकन

करना जारी रखेगी।

- राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति राज्य स्तर पर NESIDS- सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और NEC के अलावा अन्य परियोजनाओं की नगिरानी करेगी।

वाणज्य

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापार के विकास पर रिपोर्ट:

वाणज्य संबंधी स्थायी समिति ने 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापार और उद्योगों का विकास' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।

समिति के प्रमुख नष्कर्षों और सुझावों में नमिनलखित शामिल हैं:

- कनेक्टिविटी:** उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राज्यों के भीतर और परस्पर परिवहन की खराब व्यवस्था है। उनके बीच कनेक्टिविटी की समस्याएँ हैं। इससे इस क्षेत्र में रोजमर्रा का जीवन और औद्योगिक विकास बाधित हुआ है। कनेक्टिविटी में सुधार के लिये समिति ने नमिनलखित सुझाव दिये:
 - नए राज्य राजमार्गों और छोटी/ज़िला सड़कों का निर्माण।
 - सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को चौड़ा करना।
 - मालगाड़ियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना।
 - हवाई अड्डों पर एयर कार्गो हैंडलिंग और कोलड स्टोरेज केंद्र बनाना।
 - राष्ट्रीय जलमार्गों की व्यावहारिकता से संबंधित अध्ययनों को पूरा करना।
- औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि:** अधिकांश उत्तर पूर्वी राज्यों में गैर-आदवासियों को भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकती। औद्योगिक उपयोग के लिये भूमि का कोई डेटाबेस भी नहीं है।
 - समिति ने GIS से जुड़े औद्योगिक भूमि बैंक के निर्माण का सुझाव दिया। इसमें उपलब्ध औद्योगिक भूमि की प्लॉट-स्तरीय जानकारी और भूमि पुनर्वर्गीकरण जैसे प्रावधान हो सकते हैं।
 - समिति ने पट्टे के अधिकारों को हस्तांतरणीय और गरिबी रखने योग्य बनाने के प्रावधानों का भी सुझाव दिया।
- आसियान के साथ व्यापार:** दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है। आसियान के साथ नरियात संबंधों को मज़बूत करने के लिये समिति ने नमिनलखित सुझाव दिये:
 - उड़ान (अंतरराष्ट्रीय) योजना के तहत आसियान देशों के लिये सीधी उड़ानें शुरू करना।
 - अधिक संख्या में लैंड कस्टम स्टेशन स्थापित करना।
 - उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आसियान देशों के वाणज्य दूतावास कार्यालय खोलना।
 - सरकार को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की पहचान करनी चाहिये तथा उन्हें बढ़ावा देना चाहिये जो आसियान और अन्य पड़ोसी देशों के बाज़ारों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

महिला एवं बाल विकास

राष्ट्रीय महिला आयोग के कामकाज पर स्थायी समिति की रिपोर्ट:

महिला सशक्तीकरण से संबंधित स्थायी समिति ने "राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग का कामकाज" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women- NCW) का काम महिलाओं की शिकायतों को दूर करना तथा महिलाओं के लिये विशिष्ट वधायी और नीतित उपायों पर सुझाव देना है।

समिति के प्रमुख नष्कर्षों और सुझावों में नमिनलखित शामिल हैं:

- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990:** समिति ने कहा कि NCW को अधिक स्वतंत्र और प्रभावी बनाने के लिये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है।
- अधिनियम ने NCW को ऐसे अधिकार देने का सुझाव दिया जिससे वह कुछ हद तक पुलिस को जवाबदेह बना सके, यानी पुलिस NCW के निर्देशों को लागू करे और गैर अनुपालन पर सज़ा का प्रावधान हो।
- समिति ने NCW को 1990 के अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव देने और उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) को सौंपने का भी सुझाव दिया।
- राज्य महिला आयोग:** समिति ने कहा कि कई राज्य महिला आयोग अध्यक्षों की नियुक्ति न होने या धन के आवंटन की कमी के कारण पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हैं।
- उसने कहा कि बिहार और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में राज्य महिला आयोग नहीं हैं। समिति ने कहा कि अगर राज्य महिला आयोग काम करेंगे तो NCW को संबन्धित राज्यों से मिलने वाली शिकायतों के निपटान में सहायता मिलेगी।
- समिति ने सहज समन्वय सुनिश्चित करने के लिये राज्य महिला आयोगों के साथ वैधानिक संबंध स्थापित करने का सुझाव दिया। कर्मियों के अनुसार, MWCD को राज्यों से अनुरोध करना चाहिये कि वे रिक्रूटमेंट को भरें और आयोगों को पर्याप्त धन आवंटित करें।
- सुझावों को लागू करना:** समिति ने कहा कि NCW ने लगभग 161 कानूनों की समीक्षा की है और उनमें संशोधनों का सुझाव दिया है। इन संशोधनों में नमिनलखित से संबंधित कानून शामिल हैं:
 - बाल विवाह।
 - घरेलू हिंसा।
 - महिलाओं की सुरक्षा।

- गर्भावस्था का मेडिकल टर्मनिशन ।
- हालाँकि समिति ने कहा कि NCW के सुझावों को लागू करने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं की गई है । उसने MWCD, कानून एवं न्याय मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के भीतर एक तंत्र की स्थापना का सुझाव दिया ताकि एक नश्चिन्ता समय सीमा का पालन किया जा सके और NCW के सुझावों का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो ।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prs-august-2023>

